रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

Page No:— 279-288 Missing G.nand. 26.7.65

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II खण्ड I-अ
PART II Section I-A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17, 1965 / चैत्र 27, 1887
No. 4] NEW DELHI, Saturday APRIL 17, 1965 /CHAITRA 27, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि मंत्रालय

The following translation in Hindi of the further amendments made to the Indian Penal Code, 1860 by the Anti-Corruption Laws (Amendment) Act, 1964 (40 of 1964) is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में —

(1) धारा 21 में —

(1) खण्ड तीसरा के स्थान में निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"तीसरा — हर न्यायाधीश जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्यायनिर्णयिक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो ;" ;

(ii) खण्ड चौथा में, "न्यायालय का हर आफिसर," शब्दों के पश्चात् कोष्ठक और शब्द "(जिसके अन्तर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है)" अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खण्ड नवां में, "और हर आफ़िसर, जो सरकार की सेवा में हो, या उससे वेतन प्राप्त करता हो, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो" शब्द लुप्त किए जाएंगे;

(iv) खण्ड बारहवां के स्थान में निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बारहवां—हर व्यक्ति, जो

(क) सरकार की सेवा या वेतन में हो, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी की, अथवा के द्र, प्रान्त या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी की, सेवा या वेतन में हो।" ;

(v) स्पष्टीकरण 4 लुप्त किया जाएगा ;

(2) धारा 161, धारा 162 और धारा 163 में, "किसी राज्य के विधान मण्डल में" शब्दों के पश्चात् "या धारा 21 में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कम्पनी में" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

आर० सी० एस० सरकार
सचिव, भारत सरकार

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
PARLIAMENTARY WING OF THE GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
NEW DELHI.